

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक: ०२ अप्रैल, 2020

विषय:- मण्डल स्तर पर आपदा के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु स्थायी कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त उ०प्र० के पत्र सं०-937/रा०आ०का०/2019-20, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक मण्डल मुख्यालय स्तर पर एक स्थायी कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्येक मण्डल को रू० 1.50 लाख अर्थात् कुल **रू० 27,00,000/- (रूपये सत्ताईस लाख मात्र)** की धनराशि समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू० में)			
क्रम सं०	धनराशि, जिस स्तर पर व्यय किया जाना है	कार्य, जिस हेतु व्यय किया जाना है	स्वीकृत धनराशि
1	प्रदेश के सभी 18 मण्डलों में स्थायी कन्ट्रोल रूम स्थापित करने हेतु	1. 55 इंच का एक टेलीविजन 2. एक कम्प्यूटर प्रिंटर सहित 3. टेलीफोन व इंटरनेट की व्यवस्था (02 एमबीपीएस की स्पीड) 4. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा 5. 04 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था	27.00
कुल योग			27.00
(रूपये सत्ताईस लाख मात्र)			

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक '2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

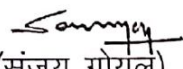
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 170(1)/एक-10-2020, दिनांक: 02 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- समस्त जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- राजस्व अनुभाग-6/11।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(संजय गोयल)

सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-02/04/2020

प्रेषण संख्या:- 170
आवंटन आदेश संख्या:- 008-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
2	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
3	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
4	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
5	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
6	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
7	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
8	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
9	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
10	बाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
11	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
12	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
13	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
14	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
15	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
16	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
17	शोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
18	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2700000 2700000	2700000 2700000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्ताइस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्ताइस लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
(उत्तरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयोग)